भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2636

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

शिवगिरि पर्यटन सर्किट परियोजना

†2636. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल में शिवगिरि पर्यटन सर्किट परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो आज तक जारी की गई, उपयोग की गई निधि और पूर्ण किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वीकृत निधि के उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है और इस परियोजना के लिए शेष निधि कब तक जारी किया जाना अपेक्षित है; और

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन में हुए विलंब पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा परियोजना को बिना किसी और विलंब के पूरा करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय ने केरल राज्य में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 3 जनवरी, 2019 को 69.47 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ "आध्यात्मिक परिपथ: शिवगिरि श्री नारायण गुरु आश्रम-अरुविपुरम-कुन्नुमपारा श्री सुब्रमण्यम-चेम्पाझंथी श्री नारायण गुरुकुलम का विकास" नामक एक परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसकी लागत को बाद में 14 जुलाई, 2022 को संशोधित करके 66.42 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस परियोजना का कार्यान्वयन भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) द्वारा किया जा रहा है।

कार्यान्वयन एजेंसी, यानी भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) से 34.21 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है, जो जारी किए जाने वाले अधिकृत धनराशि के संदर्भ में है। अतिरिक्त धनराशि जारी करना योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों द्वारा

नियंत्रित होता है और वह आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति और निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अरुविपुरम, कुन्नुमपारा और चेम्पाझंथी के स्थलों पर भूनिर्माण संबंधी कुछ कार्यों को छोड़कर लगभग सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। शिवगिरी स्थल पर पार्किंग सुविधा, जल पंप, वर्षा आश्रय, सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर स्ट्रीट लाइटिंग, बैटरी से चलने वाले वाहन, भूमिगत केबलिंग और सीसीटीवी जैसे कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं। पर्यटक सुविधा केंद्र, ऑडियो-विजुअल हॉल और भोजनालय से संबंधित कुछ कार्य अभी तक अधूरे हैं। इसके पीछे कारण हैं: अभारग्रस्त भूमि की अनुपलब्धता, मठ प्राधिकरण द्वारा ड्राविंग्स में संशोधन, नगर पालिका से योजना की स्वीकृति न मिलना और मठ प्राधिकरण द्वारा कार्य में वृद्धि के कारण अतिरिक्त धन की आवश्यकता आदि।

मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर समय-समय पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करता है। परियोजना के पूरा होने में देरी देखी गई है और कार्यान्वयन एजेंसी को अनुमोदित परियोजना फ्रेमवर्क के अनुसार संबंधित अधिकारियों के समन्वय से शेष कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने की सलाह दी गई है।

****